

दिनांक 05.05.2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे से कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में कृषि विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए इकाई लागत/अनुदान दर के निर्धारण हेतु आयोजित यूनिट कॉस्ट कमिटी की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संचिका में संधारित।

1. कृषि यांत्रिकीकरण योजना :-

यूनिट कॉस्ट कमिटी की बैठक में कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर देय अनुदान दर पर विस्तार से चर्चा की गई। तदुपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

- कृषि यंत्रों की कीमत किसी भी परिस्थिति में बाजार दर से अधिक नहीं होगी।
- अनुदान का दर किसी भी परिस्थिति में कृषि यंत्रों के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।
- कृषि यंत्रों की कीमत कृषि विभाग, बिहार सरकार को निर्माताओं द्वारा संसूचित किये गये दर से अधिक दर योजना में मान्य नहीं होगा।
- अनुदानित दर पर ट्रैक्टर क्रय करने वाले इच्छुक कृषकों को चार कृषि यंत्रों के समूह यथा रोटावेटर, जीरोटिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, पैडी ट्रान्सप्लान्टर एवं पावर थ्रेसर में से दो यंत्र खरीदना होगा। इन दो यंत्रों में से जीरोटिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का क्रय करना अनिवार्य किया गया है।
- पोस्ट हार्वेस्टर, कतार में बुआई एवं straw burning को रोकने वाले यंत्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2017-18 के लिए कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना का अनुदान दर निम्न प्रकार अनुसंधित किया गया:-

क्र. सं.	यंत्र का नाम	अनुदान दर (मूल्य का 50 प्रतिशत) अथवा अधिकतम निर्धारित राशि (₹ में), दोनों में जो कम हो				अभियुक्ति
		(वर्तमान)		(अनुसंधित)		
		सामान्य	अनुसूचित जाति/ जन जाति	सामान्य	अनुसूचित जाति/ जन जाति	
1.	ट्रैक्टर (8-20 हॉर्सपावर)	-	-	75000.00	100000.00	अनुदान दर SMAM के अनुसार
2.	ट्रैक्टर (20 से अधिक परंतु 70 हॉर्सपावर तक)	-	-	100000.00	125000.00	
3.	पावर टीलर (8 हॉर्सपावर से कम)			40000.00	50000.00	अनुदान दर SMAM के अनुसार
4.	पावर टीलर (8 हॉर्सपावर या उससे उपर)	50000.00	75000.00	60000.00	75000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
5.	लेजर लैण्ड लेवेलर	100000.00	150000.00	150000.00	150000.00	सूक्ष्म जमीन समतलीकरण को बढ़ावा देने हेतु अधिकतम अनुदान का दर निर्धारित किया गया।
6.	रोटावेटर/ रोटरी टीलर 5' तक	20000.00	30000.00	35000.00	44000.00	अनुदान दर SMAM के अनुसार
7.	रोटावेटर/ रोटरी टीलर 6' एवं उससे ऊपर	20000.00	30000.00	50000.00	63000.00	अनुदान दर SMAM के अनुसार
8.	रिभरसेबुल एम. बी. प्लाऊ 35 एचपी तक	20000.00	30000.00	15000.00	19000.00	अनुदान दर SMAM के अनुसार
9.	रिभरसेबुल एम. बी. प्लाऊ	20000.00	30000.00	35000.00	44000.00	अनुदान दर SMAM के अनुसार

	35 एचपी से उपर					के अनुसार
10	एम. बी. प्लाऊ 2-3 बॉटम (35 हॉर्सपावर या उससे उपर)	10000.00	12000.00	10000.00	12000.00	3 बॉटम एस.एल.टी.सी. द्वारा अनुमोदित है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 बॉटम पर एस.एल.टी.सी. से अनुमोदन के उपरांत ही अनुदान मान्य होगा।
11.	डिस्क हैरो	10000.00	14000.00	15000.00	20000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
12.	कल्टीवेटर	10000.00	14000.00	10000.00	14000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
13.	रोटो-कल्टीवेटर / रोटो-पडलर (35 हॉर्सपावर से उपर)	20000.00	27000.00	25000.00	30000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
14.	लेवलर (ट्रैक्टर चालित)-6 फीट या उससे उपर	5000.00	7500.00	5000.00	7500.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
15.	केज व्हील (एक जोड़ा)			3000.00	3500.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
16.	पोस्ट होल डीगर	15000.00	19000.00	15000.00	19000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
17.	ट्रैक्टर पी.टी.ओ. चालित पावर हैरो रोटरी प्लाऊ (35 हॉर्सपावर या उससे उपर)	35000.00	40000.00	35000.00	40000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
18.	सब-स्वायलर	7500.00	10000.00	9000.00	10000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
19.	जीरो टिलेज / सीड-कम-फर्टीला ईजर ड्रिल / मल्टीक्रॉप प्लान्टर Upto 9 Tyne	30000.00	40000.00	15000.00	19000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
20.	जीरो टिलेज / सीड-कम-फर्टीला ईजर ड्रिल / मल्टीक्रॉप प्लान्टर Above 9 Tyne	30000.00	40000.00	35000.00	44000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
21.	हैपी सीडर (9 से 10 टाईन)	40000.00	60000.00	40000.00	60000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
22.	पोटैटो प्लान्टर Below 35 HP	20000.00	30000.00	15000.00	19000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
23.	पोटैटो प्लान्टर Above 35 HP	20000.00	30000.00	50000.00	63000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
24.	रेज्ड बैड प्लान्टर	20000.00	30000.00	25000.00	30000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
25.	सूगरकेन कटर-कम-प्लान्टर 35 HP से ऊपर	20000.00	30000.00	50000.00	63000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।

26.	पैडी ड्रम सीडर	3000.00	3750.00	3000.00	3750.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
27.	सीड-कम-फर्टीलाइजर डीबलर	500.00	750.00	750.00	900.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
28.	रीजर/ट्रेन्चर	7500.00	11000.00	7500.00	11000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
29.	पम्पसेट (डीजल/इलेक्ट्रीक)- अधिकतम 10 एच.पी. तक	10000.00	15000.00	10000.00	15000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
30.	सिंचाई पाईप एच.डी.पी.ई. (300 मी0 तक) अनुदान 50/-रु0 प्रति मीटर	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	अनुदान दर NMOOP योजना के अनुरूप
31.	एच.डी.पी. लैमिनेटेड बोभेन ले प्लैट ट्यूब (100 मी. तक) अनुदान 20/-रु0 प्रति मीटर	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	अनुदान दर NMOOP योजना के अनुरूप
32.	वीडर/नेल वीडर	500.00	600.00	500.00	600.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
33.	स्वायल टर्नर			700.00	800.00	छोटे किसानों के लिए सब्जी की खेती एवं वागवानी के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। इससे खुर्पी तथा कुदाल की तुलना में आसानी से काम किया जा सकता है। अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
34.	पावर वीडर	15000.00	20000.00	15000.00	20000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
35.	मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र (स्प्रेयर/ डस्टर)	500.00	750.00	600.00	750.00	सामान्य श्रेणी में अनुदान दर NFSM योजना के अनुरूप परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति में पूर्व वर्ष की भांति।
36.	मानव चालित रॉकर स्प्रेयर (गटोर)	2000.00	2500.00	2500.00	3000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
37.	पावर स्प्रेयर/ डस्टर/ पौधा संरक्षण यंत्र	2000.00	3000.00	3000.00	3000.00	अनुदान दर NFSM योजना के अनुरूप
38.	कम्बाइन हार्वेस्टर (स्वचालित)	400000.00	500000.00	400000.00	500000.00	यथावत।
39.	कम्बाइन हार्वेस्टर (ट्रैक्टर चालित)	400000.00	500000.00	400000.00	500000.00	यथावत।
40.	मेज कम्बाइन हार्वेस्टर (स्वचालित)	400000.00	500000.00	400000.00	500000.00	यथावत।
41.	स्ट्रा वेलर विदाउट रैक	150000.00	225000.00	150000.00	225000.00	यथावत।
42.	स्ट्रा रीपर/स्ट्रा कम्बाइन	100000.00	150000.00	100000.00	150000.00	यथावत।
43.	रीपर-कम-बाइन्डर (स्वचालित)	175000.00	178500.00	175000.00	178500.00	यथावत।
44.	रीपर-कम-बाइन्डर (ट्रैक्टर चालित)	175000.00	178500.00	175000.00	178500.00	यथावत।

45.	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर	40000.00	60000.00	40000.00	60000.00	यथावत।
46.	रीपर (ट्रैक्टर/पावर टीलर/पावर वीडर/ रीपर बाईन्डर इत्यादि से चालित)	20000.00	30000.00	25000.00	30000.00	अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
47.	पौटेटो डीगर (35 एच.पी. से अधिक शक्ति के ट्रैक्टर द्वारा चालित)	20000.00	30000.00	35000.00	44000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
48.	पावर ऑपरेटेड व्हीट थ्रेसर/मल्टी क्रॉप थ्रेसर (ट्रैक्टर चालित)	15000.00	20000.00	40000.00	40000.00	पावर ऑपरेटेड व्हीट थ्रेसर पर अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है, जबकि मल्टी क्रॉप थ्रेसर (ट्रैक्टर चालित) पर अनुदान दर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अनुरूप है।
49.	पावर मेज सेलर/ मेज थ्रेसर (इलेक्ट्रीक मोटर से चालित)	10000.00	15000.00	10000.00	15000.00	यथावत।
50.	पावर मेज सेलर/ मेज थ्रेसर/ मेज डिहस्कर-कम-सेलर (ट्रैक्टर चालित)	10000.00	15000.00	10000.00	15000.00	यथावत।
51.	पावर पैडी थ्रेसर (6 फीट ड्रम साइज)	30000.00	45000.00	30000.00	45000.00	यथावत।
52.	चैफ कटर (मैनुअली) - 2 रॉलर, नन-शकिंग टाईप	3000.00	4500.00	3000.00	4500.00	यथावत।
53.	चैफ कटर (हैवी ड्युटी मैनुअली) - 3 रॉलर, शकिंग टाईप			4000.00	5000.00	नया यंत्र योजना में शामिल किया गया है जिसका अनुदान दर बाजार मूल्य के अनुरूप रखा गया है।
54.	ट्रैक्टर पी.टी.ओ. चालित चैफ कटर (35 हॉर्सपावर या उससे उपर)	30000.00	35000.00	50000.00	63000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
55.	स्टेशनरी ईजन चालित चैफ कटर- 2 हॉर्सपावर तक ईजन/ इलेक्ट्रीक मोटर	7500.00	10000.00	16000.00	20000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
56.	स्टेशनरी ईजन चालित चैफ कटर- 3 से 5 हॉर्सपावर तक ईजन/ इलेक्ट्रीक मोटर	10000.00	15000.00	20000.00	25000.00	अनुदान दर SMAM के अनुरूप।
57.	ब्रश कटर (1 हॉर्सपावर या उससे उपर पेट्रॉल ईजन चालित)	7500.00	10000.00	7500.00	10000.00	यथावत।

(Handwritten mark)

